क.

पीएलसीओएम

वी.

सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII

(2012 की सिविल अपील सं. 5749)

29 अप्रैल, 2020

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन**,** जे**.** जे**.]**

आय कर अधिनियम, 1961 -s.115BBA और s.194 ई-असेस-पी. आई. एल. सी. ओ. एम., तीन देशों के क्रिकेट नियंत्रण बोर्डों/संघों द्वारा गठित एक समिति है। विश्व कप प्रतियोगिता, 1996 के आयोजन के उद्देश्य से पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका-आई. टी. ओ. ने पाया कि पी. आई. एल. सी. ओ. एम. ने आई. सी. सी. के साथ-साथ आई. सी. सी. के विभिन्न सदस्य देशों के क्रिकेट नियंत्रण बोर्डों/संघों को अपने दो लंदन बैंक खातों से भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप यू/एस.194 ई-प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या भारत में उक्त अनिवासी खेल संघों को कोई आय अर्जित हुई या उत्पन्न हुई या अर्जित हुई या उत्पन्न हुई-यदि उत्तर सकारात्मक है, तो अगला प्रश्न पी. आई. एल. सी. ओ. एम. की ओर से स्रोत पर कर की कटौती करने और स्रोतों के अनुसार उचित जमा करने के दायित्व के बारे में होगा।194 अधिनियम का ई-आयोजितःगैर-निवासी खेल संघों ने इस आयोजन में भाग लिया था, जहां इन संघों की क्रिकेट टीमों ने देश में विभिन्न मैच खेले थे-भुगतान उस आयोजन के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ था जहां विभिन्न क्रिकेट टीमों को खेलना था-आय का स्रोत भारत में मैच खेलना था-यू/एस जनादेश।115 बीबीए (1) (बी) भी स्पष्ट है-वर्तमान मामले में अनिवासी खेल संघों को किए गए भुगतान उनकी आय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई थी या उपार्जित या उत्पन्न हुई थी-नतीजतन, पी. आई. एल. सी. ओ. एम. स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी था।194 अधिनियम का ई।

ग

डी.

ई.

च

अपील और विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए**,** न्यायालय ने कहाः**1.** वर्तमान मामले में**,** अनिवासी खेल संघों ने इस आयोजन में भाग लिया था**,** जहां इन संघों की क्रिकेट टीमों ने देश में विभिन्न मैच खेले थे।हालाँकि भुगतान को गारंटी मनी के रूप में वर्णित किया गया था**,** लेकिन वे उस घटना के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए थे जहाँ विभिन्न क्रिकेट टीमों को खेलना था और इस घटना में भाग लिया था।

जी.

एच.

621

आय का स्रोत, जैसा कि राजस्व ने सही कहा है, भारत में मैच खेलने में था।[पैरा **13] [635-**ए-बी]**2.** आयकर अधिनियम, **1961** की धारा **115** बीबीए **(1) (**बी**)** के तहत आदेश यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी अनिवासी खेल संघ की कुल आय में भारत में खेले जाने वाले किसी भी खेल या खेल के संबंध में उसे भुगतान या देय राशि की गारंटी शामिल है, तो उक्त धारा के संदर्भ में गणना की गई आयकर की राशि देय हो जाएगी।'के संबंध में' अभिव्यक्ति एक ओर भारत में खेले जाने वाले खेल या खेल और दूसरी ओर अनिवासी खेल संघ को भुगतान या देय गारंटी राशि के बीच संबंध पर जोर देती है।एक बार कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद, प्रावधान के तहत देयता उत्पन्न होनी चाहिए।[पैरा **14] [635-**एफ-जी]

ग

3. अधिनियम की धारा **194** ई के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने की बाध्यता डी. टी. ए. ए. से प्रभावित नहीं होती है और यदि कर की अनिवार्यता उस निर्धारिती द्वारा विवादित है जिसके खाते में कटौती की जाती है, तो डी. टी. ए. ए. के लाभ का अनुरोध किया जा सकता है और यदि मामला बनता है, तो विचाराधीन राशि को हमेशा ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।लेकिन, वह अपने आप में, अधिनियम की धारा **194** ई के तहत दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। [पैरा **18] [640-**एच**; 641-**ए-बी]

डी.

4. परिसर में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में अनिवासी खेल संघों को किए गए भुगतान उनकी आय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई थी या उपार्जित या उत्पन्न हुई थी।नतीजतन, अपीलार्थी अधिनियम की धारा **194** ई के संदर्भ में स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी था। [पैरा **19] [641-**बी-सी]

ई.

च

जी. ई. इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बनामकमिश्नर

आयकर और एक अन्य (2010) 10 एस. सी. सी. 29:[2010]

10 एससीआर **1142;** मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट **(**इंडिया**)** लिमिटेड बनाम।आयकर आयुक्त

(1999) 238 आईटीआर 208 (पैट); आयकर आयुक्त बनाम मंजू एंड कंपनी (2011) 335 आईटीआर 527 (केर)-लागू नहीं होता है।

जी.

परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड बनामसीआईटी **(1976) 4** एससीसी **37:[1977] 1** एस. सी. आर. **171;** सी. आई. टी. बनाम एली लिली एंड कंपनी **(**भारत**)**

प्राइवेट लिमिटेड (2009) 15 एससीसी 1:[2009] 5 एस. सी. आर. 20-संदर्भित।

एच.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2010] 10 एससीआर **1142**

अप्रयोज्य

पैरा **7**

[1977] 1 एससीआर **171**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2009] 5 एससीआर **20**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2012 की सिविल अपील सं. 5749।

2000 के आयकर अपील सं. 196 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

सह

ग

एसएलपी (सी) सं. 7315/2019 और 6829/2019।

सुश्री जयंती प्रसाद खेतान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अग्निबेश सेनगुप्ता, इंद्रनील घोष, राज कुमार, पाल्जर मोक्तन, सुश्री आरुषि अरोड़ा, सुश्री संपूर्ण सान्याल, सुश्री स्वाति सिन्हा, सुश्री तरुणा ए प्रसाद, सुश्री सुकन्या बसु, मेसर्स फॉक्स मंडल एंड कंपनी, सतीश कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., सुश्री निरंजना सिंह, अर्जुन गर्ग, सिद्धार्थ सिन्हा, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

ई.

2012 की सिविल अपील No.5749

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील उच्च न्यायालय 1 द्वारा 2000 की आयकर अपील No.196 को खारिज करते हुए पारित किए गए 11.11.2010 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है और इस तरह न्यायाधिकरण 2 द्वारा I.T.A.Nos में लिए गए विचार की पुष्टि करती है। 04.01.2000 पर 110/Cal/1999 और 402/Cal/1999।2. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही दायर करने वाले तथ्यों को 04.01.2000 दिनांकित आदेश में निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"2. हमारे सामने निर्धारिती पाकिस्तान-इंडो-लंका, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी (जिसे संक्षेप में पी. आई. एल. सी. ओ. एम. के रूप में जाना जाता है) है जो वास्तव में तीन देशों के क्रिकेट नियंत्रण बोर्डों/संघों द्वारा गठित एक समिति है। पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, इनमें वर्ष 1996 के लिए विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने के उद्देश्य से

जी.

1 कलकत्ता में उच्च न्यायालय 2 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता ए

तीन देश।दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई. सी. सी.) एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में क्रिकेट के खेल को नियंत्रित और संचालित करता है।लंदन में आयोजित आई. सी. सी. की एक विशेष बैठक में आई. सी. सी. को नौ पूर्ण सदस्य और बीस सहयोगी सदस्य मिले हैं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को 1996 के विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट की संयुक्त रूप से मेजबानी करने का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर चुना गया था।इन तीन मेजबान देशों को टूर्नामेंट के प्रारंभिक चरणों के संचालन के संबंध में और अपने-अपने देशों में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के क्रिकेट नियंत्रण बोर्डों/संघों के साथ-साथ आई. सी. सी. को अलग-अलग राशि का भुगतान करने की आवश्यकता थी।भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में टूर्नामेंट के अंतिम चरण के आयोजन के उद्देश्य से, तीन मेजबान सदस्यों द्वारा पी. आई. एल. सी. ओ. एम. के नाम से एक समिति का गठन किया गया था। भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए लंदन में पी. आई. एल. सी. ओ. एम. द्वारा दो बैंक खाते खोले गए थे, जिसमें प्रायोजन से प्राप्त रसीद, टी. वी. अधिकार आदि जमा किए गए थे और जिनसे खर्चों को पूरा किया गया था।उक्त बैंक खाते में शेष अधिशेष राशि को तीन बोर्डों के बीच आपसी समझौतों के अनुसार श्रीलंका बोर्ड को एकमुश्त राशि का भुगतान करने के बाद पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्डों के बीच समान रूप से विभाजित करने का निर्णय लिया गया था।भारत में विश्व कप मैचों की मेजबानी के उद्देश्य से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी. सी. सी. आई.) ने अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों के निर्वहन के लिए अपनी समिति नियुक्त की।इस समिति को इंडिकॉम के नाम से जाना जाना था। चूंकि आई. एन. डी. सी. ओ. एम. के संयोजक-सचिव कलकत्ता से काम कर रहे थे, इसलिए भारत में होने वाले मैचों से संबंधित प्राप्तियों और खर्च के लिए आई. एन. डी. सी. ओ. एम. द्वारा कलकत्ता में आवश्यक बैंक खाते खोले गए।लंदन में उक्त बैंक खातों से, अंपायरों और रेफरी को देय शुल्क के वितरण और प्रशासनिक खर्चों और पुरस्कार राशि का भुगतान करने के लिए कुछ राशि तीन सह-मेजबान देशों को हस्तांतरित की गई थी।पूछताछ के दौरान टाई आई. टी. ओ. के बारे में पता चला। (टी. डी. एस.), वार्ड-21 (4), कलकत्ता कि पी. आई. एल. सी. ओ. एम. ने आई. सी. सी. के साथ-साथ विभिन्न सदस्य देशों के क्रिकेट नियंत्रण बोर्डों/संघों को भुगतान किया था

आई. सी. सी. के दो लंदन बैंक खातों से।आई. टी. ओ. ने डॉ. बी. सी. रॉय क्लब हाउस, ईडन गार्डन, कलकत्ता-700 021 में स्थित पी. आई. एल. सी. ओ. एम. के कार्यालय को एक नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 20 (I)/194 ई के तहत पी. आई. एल. सी. ओ. एम. के खिलाफ उसके द्वारा किए गए भुगतानों से करों की कटौती करने में विफलता के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी और जैसा कि धारा के प्रावधानों के अनुसार ऊपर निर्दिष्ट किया

गया है। 194 ई. पी. आई. एल. सी. ओ. एम. ने आई. टी. ओ. के समक्ष प्रतिनिधित्व किया कि धारा के प्रावधान। 194 ई विभिन्न कारणों से भुगतान की ओर आकर्षित नहीं होगा, जिसके लिए हम बाद में विज्ञापन देंगे।इसके अलावा यह भी कहा गया था कि चूंकि पी. आई. एल. सी. ओ. एम. के पुस्तक खाते उसके पाकिस्तानी खजांची द्वारा पूरे नहीं किए गए थे, इसलिए उक्त पुस्तकों को आई. टी. ओ. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

ग

आई. टी. ओ. पी. आई. एल. सी. ओ. एम. की दलीलों से सहमत नहीं था। उन्होंने सेक के प्रावधानों का उल्लेख किया। 115 बी. बी. ए. और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 194 ई के प्रावधानों के अनुसार पी. आई. एल. सी. ओ. एम. द्वारा किए गए भुगतानों से स्रोत पर करों की कटौती की जानी चाहिए थी। पी. आई. एल. सी. ओ. एम. द्वारा किए गए और आई. टी. ओ. द्वारा एकत्र किए गए भुगतानों का विवरण उनके द्वारा पी. आई. एल. सी. ओ. एम. को प्रदान किया गया था। अंत में, आई. टी. ओ. ने सेक के तहत एक आदेश पारित किया। 20 (I)/194E दिनांक 6.5.1997, जिसमें उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि पी. आई. एल. सी. ओ. एम. Sec.201 (I) के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वह राशि जो वह विचाराधीन भुगतानों से कटौती करने में विफल रही थी, इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि पी. आई. एल. सी. ओ. एम. धारा 20 (I)/194 ई के तहत उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी था। 291 (1 ए) कर की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक कटौती योग्य था।आई. टी. ओ. ने कुल अल्पावधि कटौती यू/एस की गणना की।194 ई रुपये होगा। 2,18,293,00.00

डी.

ई.

च

3. पी. आई. एल. सी. ओ. एम. ने आई. टी. ओ. द्वारा पारित उक्त आदेश के खिलाफ अपील की और सी. आई. टी. (ए) ने अपने दिनांक 17.11.1997 के आदेश द्वारा अपील का निपटारा किया।आई. टी. ए. टी. के समक्ष पी. आई. एल. सी. ओ. एम. द्वारा दायर आगे की अपील में, आई. टी. ए. टी. ने आई. टी. ए. संख्या 62/कैल/1998 में अपने आदेश द्वारा सी. आई. टी. (ए.) द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और पी. आई. एल. सी. ओ. एम. को झुंड होने का अवसर देने के बाद इस मुद्दे को फिर से तय करने के लिए मामले को अपनी फाइल में वापस कर दिया। तदनुसार, सी. आई. टी. (ए) द्वारा अपील की फिर से सुनवाई की गई, जिसमें दोनों पक्षों को अपने-अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया और सी. आई. टी. (ए) ने अंततः आई. डी. 1 पर अपना अपीलीय आदेश पारित किया, जिसे दोनों पक्षों द्वारा हमारे समक्ष चुनौती दी जा रही है।

जी.

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

625

क.

4. मामले के बुनियादी तथ्यों पर चर्चा करने के बाद, आई. डी. 1 (ए) ने पी. आई. एल. सी. ओ. एम. (स्टर्लिंग पाउंड में) द्वारा किए गए वास्तविक भुगतानों का विवरण दिया और भुगतान के उद्देश्यों के साथ-साथ भुगतान से प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियों के बीच के अंतर के आधार पर उन्हें सात अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जैसा कि पहले सूचीबद्ध किया गया था।

राशि (£)

(i)

17 को गारंटी राशि का भुगतान किया गया

17,00,000

विश्व कप मैचों में भाग नहीं लेने वाले देश

ग

1,20,000

(ii) उन देशों में पुरस्कार राशि के वितरण के लिए लंदन से पाकिस्तान और श्रीलंका को हस्तांतरित राशि।

डी.

3,75,000

(ग) 2 फरवरी, 1993 के प्रस्ताव के अनुसार आई. सी. सी. को भुगतान।

iv) आई. सी. सी. ट्रॉफी के लिए भुगतान

2,00,000

भारत के बाहर आयोजित आईसीसी एसोसिएट सदस्यों के बीच क्वालीफाइंग मैच

ई.

v) दक्षिण को भुगतान किए गए धन की गारंटी

3,60,000

अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने भारत में कोई मैच नहीं खेला

च

8,85,000

vi) ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और केन्या को भुगतान की गई गारंटी राशि जिनके साथ दोहरे कराधान से बचने के समझौते मौजूद हैं।

जी.

vii) भुगतान किए गए धन की गारंटी

7,10,000

पाकिस्तान, पश्चिम भारत, जिम्बाब्वे और हॉलैंड

43,50,000

एच.

5. सी. आई. टी. (ए) के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न दलीलें उठाई गईं, जिन पर हम चर्चा करेंगे और उचित समय पर विचार करेंगे।सी. आई. टी. (ए) ने अभिनिर्धारित किया कि जहां तक पाउंड का भुगतान पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाने वाले मैचों के लिए उन देशों में पुरस्कार राशि के वितरण के लिए लंदन से हस्तांतरित राशि की प्रकृति का है, पुरस्कार राशि का भुगतान हमेशा एक विशेष मैच में विजेता और अन्य व्यक्तिगत खिलाड़ियों को किया जाता है और चूंकि ये पुरस्कार भारत के बाहर होने वाले मैचों के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें आईडी1 के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि यह राशि स्रोत पर कर कटौती के दायरे में नहीं आती है और आईटीओ द्वारा विचार की गई कुल राशि से इस राशि को हटाने का आदेश दिया। जहाँ तक अन्य छह भुगतानों का संबंध है, सी. आई. टी. (ए) ने अभिनिर्धारित किया कि धारा के प्रावधान। 115 बी. बी. ए. उन सभी भुगतानों की ओर आकर्षित होगा।यह तर्क देते हुए कि सभी अलग-अलग क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड/संघ सेक के दायरे में आएंगे। 115 बी. बी. ए. सेक के साथ पढ़ा जाता है। 9 (I) (I), भारत में मैच खेलने के माध्यम से उपार्जित या गारंटी धन आदि के रूप में उत्पन्न होने वाली आय, जो भारत में आय का स्रोत थी, उन अनिवासी विदेशी क्रिकेट बोर्डों/संघों के हाथों में।एल. डी. सी. आई. टी. (ए) को हालांकि उसी समय पता चला कि उपरोक्त विश्व कप टूर्नामेंट में खेले गए कुल 37 मैचों में से केवल 17 भारत में खेले गए थे।उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि पी. आई. एल. सी. ओ. एम. द्वारा टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों से संबंधित भुगतान, गैर-निवासी दलों द्वारा प्राप्त गारंटी राशि आदि के केवल ऐसे अनुपात को उन गैर-निवासी दलों के हाथों में भारत में आय माना जा सकता है, जो भारत में खेले गए मैचों की संख्या और मैचों की कुल संख्या के अनुपात के अनुरूप है।इस प्रकार, सी. आई. टी. (ए) ने अभिनिर्धारित किया कि केवल 17/37 वें भाग अर्थात अन्य छह प्रकार के भुगतानों का 45.94 प्रतिशत ही Sec.291 (आई)/194 के प्रावधानों द्वारा आकर्षित माना जा सकता है।इस प्रकार उन्होंने निर्देश दिया कि जहां तक भुगतान की अन्य छह श्रेणियों का संबंध है।45.94 उन श्रेणियों द्वारा कवर किए गए भुगतानों के प्रतिशत को अकेले Sec.201 (I)/194B के तहत पी. आई. एल. सी. ओ. एम. को चूककर्ता मानने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

627

क.

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सात अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत भुगतानों में से क्रम संख्या में भुगतान।((ii) £ की राशि। 1,20,000/- सी. आई. टी. (ए) द्वारा अधिनियम 3 की धारा 115 बी. बी. ए. के दायरे से बाहर पाया गया था, जबकि अन्य छह भुगतान उक्त प्रावधान द्वारा नियंत्रित पाए गए थे।हालांकि, उक्त छह भुगतानों में से केवल 17/37 वें हिस्से या 45.94% को ही शामिल किया गया था।अपीलार्थी और राजस्व, पीड़ित होने के कारण, क्रमशः आई. टी. ए. Nos.11/Cal/1999 और 402/कैल/1999 दाखिल करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

4. न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 04.01.2000 के आदेश में क्रम संख्या पर भुगतान के संबंध में सी. आई. टी. (ए) द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी।((ii) रुपये की राशि 1,20,000-।जहां तक क्रमिक संख्या में भुगतानों का संबंध है।(i), (iii), (iv) और (v), यह देखा गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“17. यह मानना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि उन देशों के क्रिकेट संघों के हाथों में गारंटी धन का स्रोत, जो या तो बिल्कुल नहीं खेले थे या भारत में नहीं खेले थे, भारत में खेले जाने वाले खेल हो सकते हैं।... ... इसलिए, हमारा मानना है कि जहां तक विश्व कप मैचों में भाग नहीं लेने वाले 17 देशों ((पृष्ठ 4 पर दिखाए गए भुगतान के विस्तृत चार्ट का खंड (i)), या दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात, जिन्होंने भारत में कोई मैच नहीं खेला (उपरोक्त चार्ट का खंड (V)) को पी. आई. एल. सी. ओ. एम. द्वारा भुगतान किए गए गारंटी धन का संबंध है, यह नहीं माना जा सकता है कि इन देशों के क्रिकेट संघों ने भारत में आय के किसी भी स्रोत के माध्यम से गारंटी धन अर्जित किया है।... ... ...

डी.

ई.

24. उपरोक्त चार्ट का खंड (iii) दिनांकित प्रस्ताव 2.2.1993 के अनुसार ICC को £ 3,75,000 के भुगतान को संदर्भित करता है।उक्त प्रस्ताव के अनुसार, टूर्नामेंट के संबंध में आई. सी. सी. द्वारा किए गए खर्चों के लिए आंशिक रूप से आई. सी. सी. को राशि का भुगतान करना आवश्यक था और आंशिक रूप से क्रिकेट के विकास के लिए इसके द्वारा खर्च किया जाना था। इसलिए, यदि इस भुगतान से आय के किसी तत्व पर विचार किया जा सकता है, तो भी भारत में कर योग्य आई. सी. सी. की आय के साथ इस तरह के भुगतान के किसी भी संबंध की कल्पना करना मुश्किल है।... ...25. भारत के बाहर आयोजित आई. सी. सी. सहयोगी सदस्यों के बीच क्वालीफाइंग मैचों के लिए आई. सी. सी. ट्रॉफी के लिए भुगतान की जाने वाली £ 2,00,000 की एक और राशि उपर्युक्त चार्ट के खंड (iv) के तहत शामिल है।सम्पूर्ण भुगतान की प्रकृति प्रतीत होती है

च

जी.

3 आय कर अधिनियम, 1961

एच.

628

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

टूर्नामेंट के संबंध में खर्चों की प्रतिपूर्ति।एक बार फिर, भुगतान का भारत में खेले जाने वाले किसी भी मैच से कोई संबंध नहीं है। ... ...”

क्रमिक एन. ओ. एस. (vi) और (vii) पर राशियों के संबंध में यह कहा गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“... ...इन देशों के क्रिकेट संघों के मामलों में, हालांकि अन्य देशों के क्रिकेट संघों की तरह ही आई. सी. सी. की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर गारंटी राशि का भुगतान किया गया था, साथ ही इन संघों ने भारत में कुछ गतिविधियां कीं और माना जा सकता है कि उन्होंने केवल इस तरह की गतिविधि के माध्यम से गारंटी राशि अर्जित की है।इसलिए, हमारी राय है कि जहां तक इन देशों (उपरोक्त चार्ट के खंड (vi) और (vii) द्वारा कवर किए गए) का संबंध है, तब तक पी. आई. एल. सी. ओ. एम. से प्राप्त भुगतान सीधे उनके क्रिकेट मैचों में भाग लेने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं।हालाँकि, इन सभी देशों के क्रिकेट संघों ने न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका में भी खेला।इसलिए, पी. आई. एल. सी. ओ. एम. से ऐसे प्रत्येक देश द्वारा की गई कुल रसीद का केवल वही अनुपात, जो भारत में ऐसे प्रत्येक देश द्वारा खेले गए मैचों की संख्या और टूर्नामेंट में ऐसे प्रत्येक देश द्वारा खेले गए मैचों की कुल संख्या के समान अनुपात रखता है, को उस विशेष देश के क्रिकेट संघ से उत्पन्न होने वाली या उपार्जित होने वाली आय माना जाना चाहिए।इसलिए, हमारी राय है कि पी. आई. एल. सी. ओ. एम. को उस विशेष संघ को किए गए भुगतान के इस हिस्से और धारा के तहत आदेश के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी। 201 को उपरोक्त तरीके से ऐसे प्रत्येक देश को भुगतान के संबंध में वैध माना जाएगा।"

ग

डी.

ई.

च

5. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपीलार्थी के साथ-साथ राजस्व द्वारा क्रमशः 2000 का I.T.A.Nos.196 और 2000 का 200 दाखिल करके चुनौती दी गई थी।प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, अपील के तहत अपने निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की और 2000 के 200 और 2000 के 200 को खारिज कर दिया।अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने इस मामले पर निम्नानुसार विचार कियाः- "उक्त धारा के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि एक बार धारा 115 बी. बी. ए. में निर्दिष्ट आय को विदेशी अनिवासी खिलाड़ी या अनिवासी खेल संघ या ए.

जी.

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

629

संस्था भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भुगतान करते समय या ऐसी आय को प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते समय 10 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती करने के लिए बाध्य है।यह महत्वपूर्ण है कि उक्त धारा में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आय कर के लिए प्रभार्य है या नहीं।इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि एक बार आय अर्जित होने पर कटौती निश्चित रूप से एक मामला है।स्वाभाविक रूप से कटौती करने में विफलता का परिणाम उक्त अधिनियम की धारा 201 के तहत होगा... एक बार भुगतान किए जाने और भारत में खेले गए किसी भी मैच में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त होने के बाद उक्त निवासी निर्धारिती को धारा 115 बीबीए के तहत कर की कटौती को पूरा करना होगा। इसी तरह, यदि भारत में खेले जाने वाले किसी भी मैच के संबंध में किसी भी अनिवासी खेल संघ को गारंटीकृत राशि सहित कोई राशि का भुगतान किया जाता है, तो उक्त आय स्रोत पर कर की कटौती के अधीन होगी।... ... हम श्री बाजोरिया के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विदेशी क्रिकेट संघों की आय का स्रोत बोली के पैसे के लिए विशेषाधिकार का अनुदान था और इसका मैचों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बोली के लिए विशेषाधिकार का अनुदान मूल है, लेकिन यह आय के संचय के लिए आवश्यक घटक या भाग नहीं है क्योंकि इस तथ्य के कारण कि यदि बोली के बाद स्वीकार किया जाता है, और भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती का सवाल नहीं उठाया जाता है और न ही उत्पन्न हो सकता है, तो परिणामस्वरूप बोली की स्वीकृति निरर्थक हो जाती है।प्रासंगिक कारक भुगतान और फिर भारत में होने वाले मैच हैं जहां खेल व्यक्तित्व की भागीदारी का सवाल है।... ..." डी. टी. ए. ए. 4 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रस्तुतिकरण के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

हालाँकि यह तर्क नहीं दिया जाता है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि धारा 194 ई के तहत कटौती का दायित्व डी. टी. ए. ए. से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि इस तरह की कटौती कर का अंतिम भुगतान नहीं है और न ही इसे कर का आकलन कहा जा सकता है।कटौती करनी होती है और ऐसा करने के बाद संबंधित निर्धारिती को उसी का क्रेडिट मिलता है और एक बार जब यह पता चलता है कि वह आय जिससे कटौती की जाती है, वह कर के योग्य नहीं है तो आवेदन पर ब्याज के साथ धनवापसी की अनुमति हमेशा दी जाती है।दाता द्वारा स्रोत पर कटौती के बीच मौलिक अंतर एक बात है और कर का भुगतान करने की बाध्यता दूसरी बात है।

च

जी.

4 दोहरा कराधान बचाव समझौते

एच.

630

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

डी. टी. ए. ए. के लाभ का अनुरोध वास्तविक निर्धारिती द्वारा किया जा सकता है और लिया जा सकता है जिसके खाते में कटौती दाता द्वारा नहीं की जाती है।

हमारा विचार है कि डी. टी. ए. ए. के अस्तित्व के बावजूद धारा 115 बी. बी. ए. के तहत आय अर्जित होने के बाद धारा 195 ई के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाना चाहिए।

6. अपीलार्थी 2000 के आई. टी. ए. No.196 की बर्खास्तगी के खिलाफ अपील कर रहा है।राजस्व ने 2000 के ITANo.200 को खारिज करने के खिलाफ अपील नहीं की है और इस तरह क्रमिक एन. ओ. एस. (i) से (v) पर राशियों के संबंध में विलोपन ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और यहां तक कि क्रमिक एन. ओ. एस. (vi) और (vii) पर राशियों के संबंध में भी देयता न्यायाधिकरण द्वारा देखे गए अनुपात में हो सकती है।प्रत्यर्थी द्वारा दायर मामले के बयान के अनुसार, न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में मांग Rs.38,88,731/- के योग में होगी।

ग

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. पी. खेतान और प्रत्यर्थी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बनर्जी को सुना।

डी.

श्री खेतान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भुगतान एक विशेषाधिकार के अनुदान के लिए थे न कि मैचों के लिए; कि इस तरह के भुगतान लंदन में आयोजित एक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निर्णय के अनुसार किए गए थे; कि राशि इंग्लैंड में की गई थी और मूल प्रश्न यह होगा कि क्या भारत में कोई आय अर्जित हुई थी।उन्होंने धारा 115 बी. बी. ए. और 194 ई और अधिनियम के अन्य प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

ई.

जी. ई. इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर प्रा. लि. बनाम। के आयुक्त

आयकर और अन्य **5;** पटना उच्च न्यायालय का निर्णय

च

मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट **(**इंडिया**)** लिमिटेड बनाम।

आयकर आयुक्त **6,** जिसने बदले में**,** का उल्लेख किया था

परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम सी**.** आई**.** टी**. 7** और

आयकर आयुक्त में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

बनाम मंजू एंड कंपनी **8**

जी.

श्री बनर्जी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपील के तहत निर्णय को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला और प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ए. के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, भागीदारी नहीं होगी

5 (2010) 327 आईटीआर (एससी) = (2010) 10 एससीसी 29 6 (1999) 238 आईटीआर 208 (पैट)

7 (1977) 106 आईटीआर 11 (एससी) = (1976) 4 एससीसी 37:1976 एससीसी (कर) 426 8 (2011) 335 आईटीआर 527 (केरल)

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

631

क.

सामग्री और जो प्रासंगिक होगा वह यह है कि भुगतान भारत में आयोजित मैचों के लिए था और वर्तमान मामले में, आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना गया था।

8. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान अर्थात् धारा 2 (24) (ix), 5 (2), 9 (1), 115 बी. बी. ए. और 194 ई निम्नलिखित प्रभाव से हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" 2(24)(ix) "आय" में शामिल हैं -

(ix) लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़ सहित दौड़, ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों या किसी भी रूप या प्रकृति के जुआ या सट्टेबाजी से कोई जीत;

ग

... ...

5. कुल आय का दायरा।**–**

... ...

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, एक गैर-निवासी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल है जो -

डी.

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जाता है; या

ई.

(ख) उस वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित या उत्पन्न होता है या उपार्जित माना जाता है या उत्पन्न होता है।

स्पष्टीकरण 1.- भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय को इस धारा के अर्थ के भीतर भारत में केवल इस तथ्य के कारण प्राप्त नहीं माना जाएगा कि इसे भारत में तैयार की गई तुलनपत्र में ध्यान में रखा गया है।

च

स्पष्टीकरण 2.- सन्देहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जो आय किसी व्यक्ति की कुल आय में इस आधार पर शामिल की गई है कि वह उपार्जित हुई है या उत्पन्न हुई है या उपार्जित हुई है या उत्पन्न हुई है, उसे फिर से इस आधार पर शामिल नहीं किया जाएगा कि वह भारत में उसके द्वारा प्राप्त की गई है या प्राप्त की गई मानी गई है।

जी.

... ...

9. भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय मानी जाती है।– (1) द.

निम्नलिखित आयों को भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा -

एच.

((i) भारत में किसी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी संपत्ति के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी संपत्ति या आय के स्रोत के माध्यम से या उससे, या भारत में स्थित किसी पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित या उत्पन्न होने वाली सभी आय।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए -

(क) ऐसे व्यवसाय की दशा में जिसके सभी संचालन भारत में नहीं किए जाते हैं, इस खंड के तहत भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली व्यवसाय की आय केवल आय का ऐसा हिस्सा होगी जो भारत में किए गए संचालन के लिए उचित रूप से जिम्मेदार है;

ग

(ख) एक अनिवासी के मामले में, यह नहीं माना जाएगा कि उसे भारत में निर्यात के उद्देश्य से माल की खरीद तक सीमित संचालन के माध्यम से या उससे कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है;

डी.

(ग) एक अनिवासी के मामले में, जो एक समाचार एजेंसी चलाने या समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या पत्रिकाओं के प्रकाशन के व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति है, उसे भारत में उन गतिविधियों के माध्यम से या उनसे कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाएगी जो भारत से बाहर प्रसारण के लिए भारत में समाचार और विचारों के संग्रह तक सीमित हैं।

ई.

(घ) एक अनिवासी के मामले में, होने के नाते-(1) एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है; या

(2) एक फर्म जिसका कोई भागीदार नहीं है जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निवासी है; या

च

(3) एक कंपनी जिसका कोई भी शेयरधारक भारत का नागरिक नहीं है या जो भारत में निवासी है, ऐसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को भारत में किसी भी सिनेमाटोग्राफ फिल्म की शूटिंग तक सीमित संचालन के माध्यम से या उससे कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाएगी।

जी.

... ...

115 बीबीए। अनिवासी खिलाड़ियों या खेलों पर कर

संघों।**(1)** जहाँ किसी निर्धारिती की कुल आय**-**ए

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

633

(क) एक खिलाड़ी (एक खिलाड़ी सहित) होने के नाते, जो भारत का नागरिक नहीं है और एक अनिवासी है, इसमें निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त या प्राप्य कोई भी आय शामिल है -

(i) भारत में किसी भी खेल में भागीदारी (एक खेल के अलावा जहां से जीत धारा 115 खख के तहत कर योग्य है) या खेल; या

((ख) विज्ञापन; या

(भारत में किसी भी खेल या खेल से संबंधित लेखों का समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या पत्रिकाओं में योगदान; या

(बी) एक अनिवासी खेल संघ या संस्थान होने के नाते, किसी भी खेल (एक खेल के अलावा जीत जहां से धारा 115 बीबी के तहत कर योग्य हैं) या भारत में खेले जाने वाले खेल के संबंध में ऐसे संघ या संस्थान को भुगतान या देय होने की गारंटी वाली कोई भी राशि शामिल है।

ग

(ग) एक मनोरंजनकर्ता होने के नाते, जो भारत का नागरिक नहीं है और एक अनिवासी है, जिसमें भारत में अपने प्रदर्शन से प्राप्त या प्राप्य कोई भी आय शामिल है, निर्धारिती द्वारा देय आय-कर कुल मिलाकर होगा -

डी.

((क) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय पर दस प्रतिशत की दर से गणना की गई आय-कर की राशि; और

ई.

((ख) आय-कर की वह राशि जिसके साथ निर्धारिती प्रभार्य होता यदि निर्धारिती की कुल आय को खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की राशि से कम कर दिया जाताः

च

बशर्ते कि खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।(2) निर्धारिती के लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा यदि -

जी.

(क) उसकी कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है, केवल उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय थी; और

एच.

(ख) अध्याय XVII-B के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कटौती योग्य कर को ऐसी आय से काट लिया गया है।

... ...

194-ई. अनिवासी खिलाड़ियों या खेलों को भुगतान

संघों।– जहां धारा 115-बीबीए में निर्दिष्ट कोई आय किसी ऐसे अनिवासी खिलाड़ी (एथलीट सहित) को देय है जो भारत का नागरिक या अनिवासी खेल संघ या संस्थान नहीं है, वहां भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, उस पर दस प्रतिशत 9 की दर से आयकर की कटौती करेगा।"

ग

9. क्रमिक संख्या (vi) और (vii) पर राशि अनिवासी खेल संघों को भुगतान की जाने वाली गारंटी राशि की प्रकृति में होती है। भुगतान भारत में अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि अपीलार्थी द्वारा लंदन या कहीं और अपने बैंक खातों के माध्यम से किया गया था।विचार किए जाने वाला प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या भारत में उक्त अनिवासी खेल संघ को कोई आय अर्जित हुई या उत्पन्न हुई या अर्जित हुई या उत्पन्न हुई।यदि उत्तर सकारात्मक है, तो अगला प्रश्न अपीलार्थी की ओर से स्रोत पर कर की कटौती करने और अधिनियम की धारा 194 ई के अनुसार उचित जमा करने के दायित्व के बारे में होगा।

डी.

ई.

10. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, एक अनिवासी की कुल आय में भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी जाने वाली किसी भी स्रोत से आय शामिल हो सकती है या जो भारत में ऐसे अनिवासी के लिए उपार्जित या उत्पन्न होती है या उपार्जित या उत्पन्न होती है।धारा 9 (1) के अनुसार, आय को भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा यदि -

च

“आय अर्जित होती है या उत्पन्न होती है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

निम्नलिखित में से कोई भी अभिधारणाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -• भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उससे; या• भारत में किसी संपत्ति के माध्यम से या उससे; या

जी.

• भारत में किसी संपत्ति या आय के स्रोत के माध्यम से या उससे; या• भारत में स्थित पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से

9 वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा "दस प्रतिशत" के स्थान पर "बीस प्रतिशत" शब्द रखा गया है।

एच.

11. प्रत्यर्थी के अनुसार, विचाराधीन आय भारत में आय के एक स्रोत से उत्पन्न हुई थी, जो भारत में क्रिकेट मैच खेल रहा था और इस तरह कानून की आवश्यकता पूरी तरह से संतुष्ट थी।दूसरी ओर, अपीलार्थी के अनुसार, भुगतान विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए था और इसका भारत में खेले जाने वाले मैचों से कोई लेना-देना नहीं था।

12. परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड **7** में**,** एक समझौते के तहत**,**

अपीलकर्ता सोसायटी ने ऑल इंडिया रेडियो को अपने सभी स्टेशनों से प्रसारण करने का अधिकार दिया था, सोसाइटी के प्रदर्शनों की सूची में शामिल संगीत कार्य, जिसके संबंध में प्रसारण के प्रति घंटे £2 की दर से भुगतान सोसायटी को देय था। सोसायटी, एक अनिवासी कंपनी, ने तर्क दिया कि समझौता इंग्लैंड में निष्पादित किया गया था, भुगतान इंग्लैंड में किए गए थे और "आय का स्रोत" वह समझौता था जो इंग्लैंड में किया गया था।इस दलील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि "आकाशवाणी के स्टेशनों से कॉपीराइट संगीत के प्रसारण से प्राप्त आय भारत में उत्पन्न हुई"।

ग

डी.

13. वर्तमान मामले में, अनिवासी खेल संघों ने इस आयोजन में भाग लिया था, जहां इन संघों की क्रिकेट टीमों ने देश में विभिन्न मैच खेले थे।हालाँकि भुगतान को गारंटी मनी के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन वे उस घटना के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए थे जहाँ विभिन्न क्रिकेट टीमों को खेलना था और इस घटना में भाग लिया था।आय का स्रोत, जैसा कि राजस्व ने सही कहा है, भारत में मैच खेलने में था।

ई.

14. धारा 115 बीबीए (1) (बी) के तहत आदेश यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी अनिवासी खेल संघ की कुल आय में भारत में खेले जाने वाले किसी भी खेल या खेल के संबंध में उसे भुगतान या देय राशि की गारंटी शामिल है, तो उक्त धारा के संदर्भ में गणना की गई आयकर की राशि देय हो जाएगी।'के संबंध में' अभिव्यक्ति एक ओर भारत में खेले जाने वाले खेल या खेल और दूसरी ओर अनिवासी खेल संघ को भुगतान या देय गारंटी राशि के बीच संबंध पर जोर देती है।एक बार कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद, प्रावधान के तहत देयता उत्पन्न होनी चाहिए।

च

जी.

15. सी**.** आई**.** टी**.** बनाम एली लिली एंड कंपनी **(**इंडिया**)** प्रा**.** लिमिटेड **10,** यह न्यायालय

निम्नलिखित मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

10 (2009) 15 एससीसी 1

636

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

“56. क्या टी. डी. एस. प्रावधान जो कर के संग्रह और वसूली को सक्षम करने वाले मशीनरी प्रावधानों की प्रकृति में हैं, शुल्क प्रावधान से स्वतंत्र हैं जो निर्धारिती कर्मचारी (प्राप्तकर्ता) के हाथों में आकलन को निर्धारित करता है?दूसरे शब्दों में, क्या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टीडीएस प्रावधान विदेशी कंपनी द्वारा विदेश में किए गए भुगतानों पर लागू होते हैं, कौन से

भुगतान "वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय के लिए होते हैं और कौन से उन प्रवासियों को किए जाते हैं जिन्होंने भारत में सेवाएं प्रदान की थीं?"

पूरे मामले और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस मुद्दे का जवाब नीचे दिया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“97. ऊपर बताए गए कारणों से, हम मानते हैं कि अध्याय XVII-B में "वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय के भुगतान से संबंधित टीडीएस प्रावधान, जो कर संग्रह और वसूली को सक्षम बनाने के लिए मशीनरी प्रावधानों की प्रकृति में हैं, 1961 के अधिनियम के तहत शुल्क और गणना प्रावधानों के साथ एक एकीकृत संहिता बनाते हैं, जो निर्धारिती कर्मचारी के हाथों में "वेतन" की आकलन क्षमता/कर योग्यता निर्धारित करता है।नतीजतन, धारा 192 (1) को धारा 9 (1) (ii) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।इसलिए, यदि "वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय का कोई भी भुगतान धारा 9 (1) (ii) के अंतर्गत आता है तो टी. डी. एस. प्रावधान आकर्षित होंगे।"

डी.

ई.

16. जी**.** ई**.** इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर प्रा**.** लि**. 5,** सवाल

यह उत्पन्न हुआ कि क्या अपीलार्थी कुछ विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतानों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी था।अपीलार्थी के अनुसार, भुगतान सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए थे, जबकि राजस्व के अनुसार, भुगतान में रॉयल्टी के लिए भुगतान भी शामिल था।न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के मामले को स्वीकार करते हुए कहा था कि अपीलार्थी द्वारा विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को दी गई राशि रॉयल्टी नहीं थी और यह भारत में किसी भी कर योग्य आय को जन्म नहीं देती है।उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को उलट दिया था और कहा था कि जब तक भुगतानकर्ता ने अधिनियम की धारा 195 (2) के तहत उचित अनुमति प्राप्त नहीं की थी, तब तक भुगतानकर्ता स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए बाध्य था।इस संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किया गया था।अधिनियम की धारा 195 (1) के दायरे से निपटने के दौरान यह कहा गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

“8. धारा **195 (1)** में सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में शामिल हैं **-**

अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य शब्द। एक व्यक्ति ए

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

637

एक अनिवासी को ब्याज या किसी अन्य राशि का भुगतान करना कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि ऐसी राशि आईटी अधिनियम के तहत कर के लिए प्रभार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, जहां भुगतानकर्ता की ओर से कोई बाध्यता नहीं है और प्राप्तकर्ता द्वारा राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और यह कि भुगतान भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच किसी अनुबंध या दायित्व से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन स्वेच्छा से किया जाता है, ऐसे भुगतानों को आई. टी. अधिनियम के तहत आय नहीं माना जा सकता है।

9. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 195 में न केवल राशियों पर विचार किया गया है, जो पूरी तरह से शुद्ध आय भुगतान हैं, इसमें समग्र भुगतान भी शामिल हैं जिनमें आय का एक तत्व अंतर्निहित या शामिल है।इस प्रकार, जहां एक अनिवासी को कोई राशि देय है, भुगतानकर्ता ऐसे समग्र भुगतानों के संबंध में टी. ए. एस. की कटौती करने के लिए बाध्य है। हालांकि, टी. ए. एस. में कटौती करने का दायित्व अधिनियम के तहत प्रभार्य आय के उचित अनुपात तक सीमित है जो अनिवासी को देय सकल राशि का हिस्सा है।यह दायित्व आय के उचित अनुपात तक सीमित होने के कारण धारा 195 (1) में उपयोग किए गए शब्दों से प्रवाहित होता है, अर्थात्, "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य"।यही कारण है कि सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 728 में स्पष्ट किया गया है कि कर कटौतीकर्ता टीएएस की कटौती करते समय रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क के भुगतान के संबंध में डीटीएए के प्रभाव को ध्यान में रख सकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 195 (1) धारा 18 (3-) के समान है।(ख) 1922 के अधिनियम का।

ग

डी.

ई.

... ...

16. यह तथ्य कि राजस्व ने स्वयं कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है, धारा 195 का व्यापक रूप से अर्थ लगाने का आधार नहीं हो सकता है ताकि ऐसे मामले में भी टी. ए. एस. की कटौती की आवश्यकता हो, जहां भुगतान की गई राशि भारत में कर के लिए बिल्कुल भी देय नहीं है।हम धारा 195 को नहीं पढ़ सकते हैं, जैसा कि विभाग द्वारा सुझाव दिया गया है, अर्थात्, जिस क्षण प्रेषण होता है, टी. ए. एस. की कटौती करने की बाध्यता उत्पन्न होती है।अगर हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि केवल भुगतान करने पर आय भारत में उत्पन्न होती है या उपार्जित होती है।इसलिए, जैसा कि पहले कहा गया है, यदि विभाग के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ धारा 195 (1) से "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य राशि" अभिव्यक्ति को समाप्त करना होगा।किसी खंड की व्याख्या करते समय उस खंड में उपयोग किए गए प्रत्येक शब्द को महत्व देना होता है।आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए

च

जी.

एच.

यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि उस अधिनियम की आरोप धाराएँ मशीनरी अनुभागों को अपमानित करती हैं।इस अधिनियम को एक एकीकृत संहिता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।17. धारा 195 अध्याय XVII में दिखाई देती है जो संग्रह और वसूली से संबंधित है।जैसा कि सी. आई. टी. बनाम एली लिली एंड कंपनी (इंडिया) (पी) लिमिटेड [(2009) 15 एस. सी. सी. 1: (2009) 312 आई. टी. आर. 225] टी. ए. एस. की कटौती के प्रावधान जो अध्याय XVII में करों के संग्रह और आई. टी. अधिनियम के प्रभार प्रावधानों से संबंधित हैं, एक अभिन्न, अविभाज्य संहिता बनाते हैं और इसलिए, टी. डी. एस. से संबंधित प्रावधान केवल उन राशियों पर लागू होते हैं जो आई. टी. अधिनियम के तहत "कर के लिए प्रभार्य" हैं। यह सच है कि एली लिली [(2009) 15 एस. सी. सी. 1 में निर्णयः(2009) 312 आई. टी. आर. 225] आई. टी. अधिनियम की धारा 192 तक सीमित था। हालांकि, दोनों के बीच कुछ समानताएं हैं।यदि कोई धारा 192 को देखता है तो पता चलता है कि यह भुगतानकर्ता पर टी. ए. एस. की कटौती करने का वैधानिक दायित्व लगाता है जब वह "वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करता है।इसी तरह, धारा 195 किसी अनिवासी को "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य" किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति पर एक वैधानिक दायित्व लगाती है, जो अभिव्यक्ति, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अध्याय XVII की अन्य धाराओं में जगह नहीं पाती है। यह इस मायने में है कि हम मानते हैं कि आई. टी. अधिनियम एक एकल अभिन्न अविभाज्य संहिता का गठन करता है।इसलिए, टी. डी. एस. से संबंधित प्रावधान केवल उन राशियों पर लागू

होते हैं जो आई. टी. अधिनियम के तहत कर के लिए प्रभार्य हैं। "16.1 यह निवेदन कि जब तक अधिनियम की धारा 195 (2) के तहत अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, तब तक स्रोत पर कर की कटौती करने का दायित्व पूरे भुगतान के संबंध में होना चाहिए, स्वीकार नहीं किया गया था।अधिनियम की धारा 195 (1) में आने वाली "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य" अभिव्यक्ति पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "टी. ए. एस. की कटौती करने का दायित्व, हालांकि, अधिनियम के तहत प्रभार्य आय के उचित अनुपात तक सीमित है जो अनिवासी को देय सकल राशि का हिस्सा है।"

ग

डी.

ई.

च

16.2 इस निर्णय का, हमारे विचार में, क्रमिक संख्या पर भुगतान के रूप में कोई अनुप्रयोग नहीं है।(vi) और (vii) संबंधित हैं। जिस हद तक भुगतान उन राशियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार का विषय नहीं हो सकती हैं, अपीलार्थी को पहले से ही उचित लाभ दिया गया है।

जी.

17. हम अब दो अन्य निर्णयों पर विचार करते हैं जिन पर अपीलार्थी ने भरोसा किया हैः- ए.

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

639

ए) मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट (इंडिया) लिमिटेड में 6,

एक समझौते के तहत अपीलार्थी को तकनीकी "जानकारी" प्राप्त करनी थी और फिर अनुबंध लेखों के डिजाइन में अर्जित "जानकारी" का उपयोग करना था।समझौते के अनुच्छेद-II के पैराग्राफ (ए) के संदर्भ में, अपीलार्थी के कर्मियों को विदेशी कंपनी के स्थान पर नौकरी की नियुक्ति पर "जानकारी" और आवश्यक कौशल प्राप्त करना था, जिसके संबंध में, कुछ राशियों का भुगतान विदेशी कंपनी को किया जाता था।उक्त भुगतान उच्च न्यायालय द्वारा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं पाया गया था और मामले को निम्नानुसार निपटाया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“मुख्य सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद III (ए) के तहत भुगतान अमेरिकी कंपनी को भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय की प्रकृति में था?इस संबंध में, न्यायाधिकरण ने केवल परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड [1977] 106 आई. टी. आर. 11 के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।उस मामले के तथ्य यह थे कि सोसायटी संगीतकारों, लेखकों और कॉपीराइट संगीत कार्यों के प्रकाशकों का एक संघ था जो इस तरह के कार्यों में प्रदर्शन के अधिकार की अनुमति देने के लिए स्थापित किया गया था।सोसायटी इस तरह की अनुमति देने वाले लाइसेंस जारी करने के लिए रॉयल्टी एकत्र करती थी और सोसाइटी के सदस्यों को रॉयल्टी वितरित करती थी जो संगीतकार, लेखक, संगीत प्रकाशक और कॉपीराइट में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्ति थे, उस अनुपात में जिस हद तक किसी सदस्य का काम सार्वजनिक रूप से किया गया था या खर्चों की आनुपातिक कटौती के बाद प्रसारित किया गया था।सोसायटी ने भारत के निवासी के साथ एक समझौता किया जिसमें भारत में लाइसेंसधारी के ध्वनि प्रसारण स्टेशनों से समाज के प्रदर्शनों की सूची में शामिल सभी संगीत कार्यों को प्रसारित करने का लाइसेंस दिया गया।समझौते के तहत, इसे दिए गए अधिकारों के लिए, लाइसेंसधारी को सोसायटी को सालाना दो पाउंड प्रति घंटे की राशि का भुगतान करना था, जिसकी गणना प्रत्येक लाइसेंसधारी के प्रसारण स्टेशनों से पश्चिमी संगीत के प्रसारण के लिए की जाती थी और वार्षिक भुगतान लंदन में सोसाइटी को किया जाना था।उन तथ्यों पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि उसे भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में निष्पादित समझौते से आय प्राप्त हुई, लेकिन आय निस्संदेह भारत में उपार्जित या

उत्पन्न हुई।मैं यह देखने में असमर्थ हूं कि परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के मामले [1977] 106 आई. टी. आर. 11 (एस. सी.) में निर्णय, इस मामले में राजस्व के लिए किसी भी तरह से सहायक कैसे हो सकता है।मेरे विचार से दोनों मामलों के तथ्य बिल्कुल समान नहीं हैं; तकनीकी ज्ञान का अधिग्रहण और मशीनों के डिजाइन में अर्जित ज्ञान का उपयोग और

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

640

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

भारत में सहायक उपकरण और उनके निर्माण की तुलना मुझे एक समझौते के तहत दिए गए लाइसेंस के आधार पर भारत में कॉपीराइट संगीत रचनाओं के बजाने और प्रसारण से नहीं लगती है।मेरे दिमाग में इस मामले के तथ्यों की तुलना उस स्थिति से की जा सकती है जब कुछ लोग कुछ निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर समाज के सदस्यों से पश्चिमी संगीत सीखने के लिए इंग्लैंड गए थे और वापस आने पर अर्जित कौशल का उपयोग संगीत रचनाओं को लिखने के लिए किया था जो इस देश में बजाए और प्रसारित किए गए थे।परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के मामले [1977] 106 आईटीआर 11 (एससी) में निर्णय निश्चित रूप से ऐसे मामले पर लागू नहीं होगा।"

ग

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि समझौते के अनुच्छेद III (ए) में उल्लिखित आय भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं हुई थी।आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए विदेश में नौकरी के लिए भुगतान के संबंध में कोई संबंध नहीं पाया गया, जबकि तत्काल मामले में संबंध बहुत स्पष्ट है।इस प्रकार, इस मामले का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

डी.

ख) मांजू एंड कंपनी 8 में, राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी के थोक वितरक को वितरण समझौते के तहत लॉटरी टिकट "ड्रॉ की तारीख" से पहले नहीं बेचे जाने की स्थिति में नुकसान वहन करने के लिए बाध्य किया गया था।कुछ न बिकने वाले टिकट पुरस्कार विजेता टिकट के रूप में सामने आए।यह निवेदन कि ऐसे मामले में लॉटरी से जीते गए पुरस्कार को लाभ और हानि खाते में आय की प्राप्ति के रूप में माना जाए, न कि "लॉटरी से जीत" के रूप में जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 115 बीबी के तहत प्रदान की गई विशेष दर पर मूल्यांकन किया जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।यह देखा गयाः- “... ...इसलिए, तर्क के लिए यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी का तर्क है कि लॉटरी से जीत उसके द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त की जाती है और व्यवसाय के लिए आकस्मिक है और जैसे कि वे उसकी व्यावसायिक आय है, सही है, फिर भी, हम धारा 115 खख में निहित विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए महसूस करते हैं, कर की विशेष दर लॉटरी से सभी जीत के लिए लागू होती है।... ...”

ई.

च

जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, इस निर्णय का कोई उपयोग नहीं है।

जी.

18. अब हम डी. टी. ए. ए. की प्रयोज्यता के मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा, इस मामले पर उसके समक्ष उस ओर से बहस नहीं की गई थी, फिर भी इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के साथ जो तर्क दिया गया है, वह काफी सही है।द ए.

एच.

पी. आई. एल. सी. ओ. एम. बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल-VII [उदय उमेश ललित, जे.]

641

अधिनियम की धारा 194 ई के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने की बाध्यता डी. टी. ए. ए. से प्रभावित नहीं होती है और यदि कर की अनिवार्यता उस निर्धारिती द्वारा विवादित है जिसके खाते में कटौती की जाती है, तो डी. टी. ए. ए. के लाभ का अनुरोध किया जा सकता है और यदि मामला बनता है, तो विचाराधीन राशि को हमेशा ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। लेकिन, वह अपने आप में अधिनियम की धारा 194 ई के तहत दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है।

19. परिसर में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में अनिवासी खेल संघों को किए गए भुगतान उनकी आय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई थी या उपार्जित या उत्पन्न हुई थी।नतीजतन, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 194 ई के संदर्भ में स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी था।

ग

20. इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।21. तदनुसार आदेश दिया।खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं |

2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) Nos.6829 और 2019 की 7315 22.ये दोनों याचिकाएं श्रीलंका में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा पी. आई. एल. सी. ओ. एम. (प्रमुख मामले में अपीलकर्ता) के माध्यम से दायर की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है। 2008 का 242 और 2008 का 279।ये मामले प्रमुख मामले में अपील के तहत निर्णय और आदेश के अनुसार विभाग द्वारा पारित परिणामी मूल्यांकन आदेशों से उत्पन्न होते हैं।

डी.

ई.

23. इन याचिकाओं में मुख्य मामले के लंबित होने के कारण नोटिस जारी किया गया था।

24. चूंकि मुख्य मामला खारिज कर दिया गया है, इसलिए हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं को भी खारिज करते हैं।

च

अंकित ज्ञान

अपील और एसएलपी खारिज कर दिए गए।

जी.

एच.